संख्या--2598/77-3-20-21एम/19

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग--3

लखनऊः दिनांकः 26 नवम्बर, 2020

विषयः-- उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का कियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या--12132/यूपीडा/18/1696/तक0, दिनांक 22.10.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2-- इस सम्बन्ध में शासन द्वारा मा0 मंत्रि--परिषद के अनुमोदन से सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैंः--

(1) गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ--बुलन्दशहर मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या--334) से (बिजौली ग्राम के समीप) से प्रारम्भ होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या--19 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या--2) के प्रयागराज बाइपास पर जनपद प्रयागराज के जुडापुर दाँदू ग्राम के समीप मिलेगा। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की कुल अनुमानित लम्बाई लगभग 594 कि0मी0 है, जिसके संरेखण में जनपद मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर, अमरोहा, सम्भल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज के कुल 529 ग्राम प्रभावित होंगे।

(2) गंगा एक्सप्रेसवे हेतु तैयार किए गए डी0पी0आर0 की कुल अनुमानित लागत लगभग रू0 36410 करोड़ है जिसमें भूमि क्रय/अधिग्रहण हेतु लगभग रू0 9255 करोड़, निर्माण हेतु लगभग रू0 22144 करोड़ तथा अवशेष रू0 5011 करोड़ में आकस्मिक व्यय, एजेन्सी चार्जेज, सुपरविजन चार्जेज, लेबर सेस, यूटीलिटी शिफ्टिंग, सम्भावित अनुबंधित मूल्य वृद्धि एवं निर्माण के पश्चात् 05 वर्ष की अवधि के लिये एक्सप्रेसवे का अनुरक्षण आदि सम्भावित व्यय निहित होगा। इस परियोजना पर सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया जाता है। डी0पी0आर0 का मूल्यांकन तथा ई0एफ0सी0 भी शीघ्र करायी जाए।

(3) परियोजना हेतु ग्राम सभा के स्वामित्व की भूमि निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

(4) परियोजना हेतु भूमि क्रय/अधिग्रहण के लिए, वार्षिक बजट व हडको से उनकी शर्तों के अधीन लिये जाने वाले ऋण हेतु प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। जिसके लिए शासकीय गारण्टी पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है। ऋण की शर्तों इत्यादि पर वित्त विभाग के परामर्श से कार्यवाही की जायेगी।

(5) परियोजना हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए आगरा--लखनऊ एक्सप्रेसवे के टोल का मोनिटाइजेशन (मुद्रीकरण) किया जाए और इसके लिए N.H.A.I. में प्रचलित निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(6) आगरा--लखनऊ एक्सप्रेसवे के टोल का मॉनिटाइजेशन के लिये टोल, ऑपरेट, एवं ट्रांसफर पद्धति (टी0ओ0टी0) अपनाये जाने हेतु तकनीकी परामर्शी चयनित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार में प्रचलित अभिलेखों के आधार पर ड्राफ्ट रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आर.एफ.पी.) गठित किया जाएगा।

(7) आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के टोल के मुद्रीकरण से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा। तत्पश्चात धनराशि का आहरण बजट के माध्यम से किया जायेगा।

(8) आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के टोल के मुद्रीकरण के सम्बन्ध में प्रकियात्मक एवं परिचालनात्मक नीतिगत निर्णय लिये जाने हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त शासकीय समिति का गठन किया जाये। इस संबंध में कार्यालय ज्ञाप पृथक से जारी किया जा रहा है।

(9) उक्त गठित शासकीय समिति की अनुशंसा पर भविष्य में नीतिगत निर्णय लेने हेतु मा0 मुख्यमंत्रीजी को अधिकृत किया जाता है।

(10) परियोजनान्तर्गत सिविल निर्माण हेतु वित्तीय पोषण के लिए पी.पी.पी. मॉडल के तहत सम्भावनायें तलाश करने के निमित्त निवेशकों से रूचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) आमंत्रित करते हुए नियत प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में EOI के ड्राफ्ट पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है। पी0पी0पी0 मोड में कार्य को सम्पादित किये जाने के लिए अपेक्षित प्रस्ताव न प्राप्त होने की स्थिति में अन्य विकल्प पर विचार किया जायेगा। इस हेतु यूपीडा द्वारा समय से सभी preparatory कार्यवाहियॉ की जायेगीं।

(11) परियोजनान्तर्गत निर्माण हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विकल्प पर भी प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में विचार कर लिया जाए।

(12) गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के सिविल निर्माण कार्य हेतु वित्तीय व्यवस्था के लिए पब्लिक सैक्टर बैंक–ऋण के अतिरिक्त अन्य बाह्य ऋण/निवेश के संसाधनों की संभाव्यता पर विस्तृत कार्य करने के लिए प्रथम चरण में वित्तीय सलाहकार के रूप में एस.बी.आई. कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को नामांकन के आधार पर आबद्ध किया जाए और उनकी मांग के अनुसार फीस के रूप में रू0 50.00 लाख की धनराशि का भुगतान किया जाए।

(13) यूपीडा के प्रस्ताव के दृष्टिगत परियोजना के समयबद्ध एवं गुणवत्ता पूर्ण निर्माण हेतु तकनीकी, राजस्व एवं वित्त/लेखा तथा अन्य क्षेत्रों से संबंधित कार्मिकों (संलग्न विवरण के अनुसार) की व्यवस्था की जायेगी। पदों का सृजन, अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर वित्त विभाग के परामर्श से किया जायेगा।

3. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा लिये गये उक्त निर्णयों का अनुपालन करते हुए यह भी सुनिश्चित करें कि उक्त परियोजना से संबंधित भूमि के अधिग्रहण का कार्य 06 माह में पूर्ण कराते हुए निर्माण कार्य जून, 2021 से प्रारम्भ कर दिया जाए।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

आ लोक

(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव

पृष्ठाकंन संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग,उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार सिंह)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या– 2598/77–3–2020–21एम/19 दिनांक 26 नवम्बर, 2020

का संलग्नक

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	टिप्पणी
(A) तकनीकी:–			
1	प्रमुख अभियन्ता/वरिष्ठ मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल)	1	परियोजना के सम्पूर्ण प्रबन्धन एवं नियंत्रक अधिकारी
2	मुख्य अभियन्ता (सिविल)/मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल)	2	6–6 पैकेज के प्रबन्धन एवं नियंत्रण हेतु 2 अधिकारी
3	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)/महाप्रबन्धक (सिविल)	4	3–3 पैकेज के प्रबन्धन एवं नियंत्रण हेतु 4 अधिकारी
4	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)/वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल)	16	परियोजना के 12 पैकेज में प्रत्येक पैकेज के प्रबन्धन एवं नियंत्रण हेतु 1 अधिकारी एवं मुख्यालय पर 4 अधिकारी
5	सहायक अभियन्ता (सिविल)/प्रबन्धक (सिविल)	36	परियोजना के 12 पैकेज में प्रत्येक पैकेज के प्रबन्धन एवं नियंत्रण हेतु 2 अधिकारी एवं मुख्यालय पर प्रत्येक पैकेज के अनुश्रवण हेतु 1 अधिकारी
6	अवर अभियन्ता (सिविल)	48	परियोजना के 12 पैकेज में प्रत्येक पैकेज हेतु 4 अभियन्ता
7	अवर अभियन्ता (प्राविधिक)	1	मुख्यालय पर आगणन एवं अन्य तकनीकी कार्यो हेतु 1 अभियन्ता
(B) राजस्वः–			
1	उप जिलाधिकारी	5	भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित कार्यो हेतु क्षेत्र के लिए 4 एवं मुख्यालय पर 1 अधिकारी
2	तहसीलदार	12	12 पैकेज में प्रत्येक पैकेज हेतु 1 अधिकारी
3	लेखपाल	4	मुख्यालय पर
(C) वित्त एवं लेखाः–			
1	वित्त अधिकारी	1	मुख्यालय पर वित्त एवं लेखा सम्बन्धित कार्यो हेतु
2	लेखाधिकारी	2	मुख्यालय पर वित्त एवं लेखा सम्बन्धित कार्यो हेतु
	लेखाकार	16	मुख्यालय पर वित्त एवं लेखा सम्बन्धित कार्यो हेतु 4 एवं प्रत्येक पैकेज हेतु 1 लेखाकार
(D) वृक्षपातन, वृक्षारोपण एवं वन विभाग से सम्बन्धित अन्य कार्यः–			
1	सहायक वन संरक्षक/प्रबन्धक	1	परियोजना हेतु आवश्यक वृक्षपातन, वृक्षारोपण आदि कार्यो के प्रबन्धन, नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु
2	क्षेत्रीय वनाधिकारी/वृक्षारोपण अधिकारी	2	
3	फारेस्टर/डिप्टी रेंजर/उप वृक्षारोपण अधिकारी	12	
(E) अन्यः–			
1	कम्प्यूटर आपरेटर/लिपिक	46	मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु
2	अनुसेवक	50	